

संचालनालय कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

क्र०/डीटीए/IFMIS/2019/710
प्रति,

भोपाल,दिनांक - 27/03/2019

समस्त कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :- मार्च 2019 के अंतिम कार्य दिवसों में कोषालय में व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय का पत्र क्रमांक/CSFMS/617, भोपाल दिनांक 27.03.2018 एवं
क्रमांक 224-225 दिनांक 28.03.2019।

—0—

विषयांतर्गत मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषालय में देयकों की प्रस्तुति एवं भुगतान की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. दिनांक 31.03.2019 को कोषालय आंतरिक कार्य एवं भुगतान करने हेतु सायं 6:00 बजे अथवा कार्य समाप्ति जो भी बाद में हो, तक खुले रहेंगे।
2. एजेंसी बैंक दिनांक 31.03.2019 को भी शासकीय राजस्व प्राप्त करेंगे। तदानुसार अपने से संबद्ध बैंकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. दिनांक 29.03.2019 को सायं 5:30 बजे के पश्चात् कोषालय में कोई देयक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त अवधि के पश्चात् केवल वित्त विभाग/आयुक्त कोष एवं लेखा की अनुमति से ही देयक प्राप्त किये जा सकेंगे।

(प्रमुख सचिव वित्त द्वारा अनुमोदित)


अयुक्त

पृ०क्र०/डीटीए/IFMIS/2019/711
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक - 27/03/2019

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, म०प्र० की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को उक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल।


आयुक्त